



अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

केन्द्रीय कार्यालय : शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली न. 9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाष : 011-22914799, 09868711893, 09414040403, 09414068780, 09343211679

E-mail : abrsmdelhi@gmail.com, abrsmbharat@gmail.com, Website : www.abrsm.in

**A
B
R
S
M**

अध्यक्ष

जगदीश प्रसाद सिंघल
09414068780

महामंत्री

शिवानन्द सिंदनकेरा
09343211679

अतिरिक्त महामंत्री

डॉ. निर्मला यादव
09412169506

संगठन मंत्री

महेन्द्र कपूर
09868711893, 09414040403

सह संगठन मंत्री

ओमपाल सिंह
09415121329

उपाध्यक्ष
महिला संवर्ग
डॉ. कल्पना पांडे (महाराष्ट्र)
09923754561
प्राथमिक संवर्ग
हिममत सिंह जैन (मध्यप्रदेश)
09425973461
माध्यमिक संवर्ग
पी. वेंकटराव (तेलंगाना)
09490149248
उच्च शिक्षा संवर्ग
प्रो. प्रगनेश शाह (गुजरात)
09879567178
मंत्री
महिला संवर्ग
डॉ. रेखा भट्ट (राजस्थान)
09414787234
प्राथमिक संवर्ग
पीएस गोपकुमार (केरल)
09447906186
माध्यमिक संवर्ग
मोहन पुरोहित (राजस्थान)
09829234345
उच्च शिक्षा संवर्ग
डॉ. मनोज सिन्हा (दिल्ली)
09868877699
संयुक्त मंत्री
महिला संवर्ग
श्रीमती ममता डी. के. (कर्नाटक)
09886598436
प्राथमिक संवर्ग
श्रीमती सुधा मिश्रा (उत्तर प्रदेश)
09450488131
माध्यमिक संवर्ग
पवन मिश्रा (हिमाचल प्रदेश)
09817399333
उच्च शिक्षा संवर्ग
डॉ. नारायण लाल गुप्ता (राजस्थान)
09414497042
कोषाध्यक्ष
संजय कुमार राजत (मध्यप्रदेश)
09826050266
आंतरिक अंकेक्षक
डॉ. पवित्र कुमार रथ (ओडिशा)
09937661228
उच्च शिक्षा संवर्ग प्रभारी
महेन्द्र कुमार (वाराणसी केन्द्र)
09415201262
महिला संवर्ग प्रभारी
श्रीमती प्रियम्बदा सक्सेना (महाराष्ट्र)
09373302551
प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रमुख
डॉ. शेखर बसंत चन्द्रात्रे (महाराष्ट्र)
09869141250
शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रमुख
प्रो. शैलेश कुमार मिश्र (उत्तरप्रदेश)
09415446525
मीडिया प्रकोष्ठ प्रमुख
विजय कुमार सिंह (मध्यप्रदेश)
09425179729
प्रकाशन प्रकोष्ठ प्रमुख
विष्णुप्रसाद चतुर्वेदी (राजस्थान)
09829113431
समर्थ भारत आयाम प्रमुख
रतन लाल शर्मा (दिल्ली)
09968030795

पत्रांक : उ.शि.सं. 3/विक्रम संवत् 2075

दिनांक : 20.07.2018

माननीय प्रकाश जावडेकर जी

मानव संसाधन विकास मंत्री

भारत सरकार, नई दिल्ली

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ यूजीसी द्वारा जारी नवीन रेगुलेशन का स्वागत करता है तथा मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकरजी एवं यूजीसी अध्यक्ष का धन्यवाद ज्ञापित करता है कि उन्होंने महासंघ द्वारा प्रस्तुत सुझावों और मांगों में से कई पर सकारात्मक रुख दर्शाते हुए व्यापक शिक्षा और शिक्षक हित में रेगुलेशन में प्रावधान किए हैं। महासंघ के दृष्टिकोण से सहमत होते हुए नवीन रेगुलेशन में किए गए निम्न प्रावधानों पर महासंघ संतोष एवं प्रसन्नता व्यक्त करता है -

- पिछले रेगुलेशन में अत्यंत विवादित एपीआई पीबीएस विदाई की गई है तथा सीएसएस योजना के अंतर्गत पदोन्नति प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
- एमफिल और पीएच.डी. जैसी उच्चतर शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली वेतन वृद्धियों को महासंघ के तर्क से सहमत होते हुए पुनः प्रारम्भ किया गया है।
- उच्च शिक्षा संस्थान में शिक्षकों की ठहराव अवधि पूर्व में प्रस्तावित 7 घंटे के स्थान पर महासंघ की मांग के अनुसार 5 घंटे ही रखी गई है।
- शिक्षकों का अध्यापन कार्य भार, जो पूर्व में न्यूनतम 14 से 16 घंटे प्रस्तावित था, में से महासंघ की आपत्ति के बाद न्यूनतम शब्द हटा दिया गया है।
- लंबित सीएसएस पदोन्नति प्रकरणों में एपीआई की छूट अवधि नवीन रेगुलेशन की अधिसूचना जारी होने की तिथि तक बढ़ा दी गई है।
- महासंघ के निरंतर दबाव के चलते अंततः ओरिएंटेशन /रिफ्रेशर कोर्स में छूट की अवधि 31 दिसंबर 2018 तक की गई है।
- महाविद्यालयों में प्रोफेसर के पदों की सीमा, जो पूर्व के रेगुलेशन में थी, हटा दी गई है।
- महाविद्यालय प्राचार्य को विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त समिति की अनुशंसा के आधार पर 5 साल का एक और कार्यकाल देने की व्यवस्था की गई है।
- स्नातक व स्नातकोत्तर प्राचार्य को एक ही प्रोफेसर ग्रेड में रखा गया है तथा प्राचार्य पद का कार्यकाल पूर्ण होने पर शिक्षक को प्रोफेसर पद पर प्रोफेसर ग्रेड में रखने का प्रावधान किया गया है।
- एक रेगुलेशन से दूसरे रेगुलेशन में स्मूथ मूवमेंट के लिए 3 वर्ष का विकल्प दिया गया है।
- सभी विश्वविद्यालयों से नवीन रेगुलेशन को 6 माह के भीतर लागू करने की बात कही गई है।



अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

केन्द्रीय कार्यालय : शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली न. 9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाष : 011-22914799, 09868711893, 09414040403, 09414068780, 09343211679

E-mail : abrsmdelhi@gmail.com, abrsmbharat@gmail.com, Website : www.abrsm.in

**A
B
R
S
M**

अध्यक्ष

जगदीश प्रसाद सिंघल
09414068780

महामंत्री

शिवानन्द सिंदनकेरा
09343211679

अतिरिक्त महामंत्री

डॉ. निर्मला यादव
09412169506

संगठन मंत्री

महेन्द्र कपूर
09868711893, 09414040403

सह संगठन मंत्री

ओमपाल सिंह
09415121329

उपाध्यक्ष
महिला संवर्ग
डॉ. कल्पना पांडे (महाराष्ट्र)
09923754561
प्राथमिक संवर्ग
हिममत सिंह जैन (मध्यप्रदेश)
09425973461
माध्यमिक संवर्ग
पी. वेंकटराव (तेलंगाना)
09490149248
उच्च शिक्षा संवर्ग
प्रो. प्रगनेश शाह (गुजरात)
09879567178
मंत्री
महिला संवर्ग
डॉ. रेखा भट्ट (राजस्थान)
09414787234
प्राथमिक संवर्ग
पीएस गोपकुमार (केरल)
09447906186
माध्यमिक संवर्ग
मोहन पुरोहित (राजस्थान)
09829234345
उच्च शिक्षा संवर्ग
डॉ. मनोज सिन्हा (दिल्ली)
09868877699
संयुक्त मंत्री
महिला संवर्ग
श्रीमती ममता डी. के. (कर्नाटक)
09886598436
प्राथमिक संवर्ग
श्रीमती सुधा मिश्रा (उत्तर प्रदेश)
09450488131
माध्यमिक संवर्ग
पवन मिश्रा (हिमाचल प्रदेश)
09817399333
उच्च शिक्षा संवर्ग
डॉ. नारायण लाल गुप्ता (राजस्थान)
09414497042
कोषाध्यक्ष
संजय कुमार राजत (मध्यप्रदेश)
09826050266
आंतरिक अंकेक्षक
डॉ. पवित्र कुमार रथ (ओडिशा)
09937661228
उच्च शिक्षा संवर्ग प्रभारी
महेन्द्र कुमार (वाराणसी केन्द्र)
09415201262
महिला संवर्ग प्रभारी
श्रीमती प्रियम्बदा सक्सेना (महाराष्ट्र)
09373302551
प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रमुख
डॉ. शेखर बसंत चन्द्रात्रे (महाराष्ट्र)
09869141250
शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रमुख
प्रो. शैलेश कुमार मिश्रा (उत्तरप्रदेश)
09415446525
मीडिया प्रकोष्ठ प्रमुख
विजय कुमार सिंह (मध्यप्रदेश)
09425179729
प्रकाशन प्रकोष्ठ प्रमुख
विष्णुप्रसाद चतुर्वेदी (राजस्थान)
09829113431
समर्थ भारत आचाम प्रमुख
रतन लाल शर्मा (दिल्ली)
09968030795

पत्रांक :

दिनांक :

इन सब शिक्षक व शिक्षा हितकारी प्रावधानों के किए जाने के बाद भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो महासंघ के लिए चिंता के विषय हैं तथा उच्च शिक्षा व शिक्षकों के व्यापक हित में जिनके विषय में शीघ्र सकारात्मक निर्णय करना अपेक्षित है -

- देशभर में उच्च शिक्षा का एक समान स्तर बनाए रखने तथा शिक्षकों की एक समान सेवा शर्तों व वेतनमान के लिए आवश्यक है कि नवीन वेतनमान लागू करने में आए अतिरिक्त वित्तीय भार का न्यूनतम 80 प्रतिशत कम से कम 5 वर्ष तक केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को पुनर्भरण किया जाए।
- उच्च शिक्षा की विशिष्टता को देखते हुए तथा सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए इंडेक्स ऑफ रेशनलाइजेशन न्यूनतम 2.72 रखा जाए तथा वेतन नियतन करते समय न्यूनतम गुणांक 2.67 किया जाए।
- करियर एडवांसमेंट योजना के अंतर्गत महाविद्यालयों में संसाधनों एवं अवसरों की उपलब्धता की न्यूनता को देखते हुए एसोसिएट प्रोफेसर लेवल तक पीएच.डी. की बाध्यता को समाप्त किया जाए।
- फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत पीएच.डी. आदि डिग्री प्राप्त में लगे समय को नियुक्ति एवं पदोन्नति हेतु शैक्षणिक एवं शोध अनुभव के रूप में गिना जाए।
- असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालयों द्वारा यूजीसी रेगुलेशन 2009 को लागू करने की तिथि तक पंजीकृत अभ्यर्थियों को नेट से छूट प्रदान की जाए।
- कुलपति पद हेतु विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में प्रोफेसर पद पर 5 वर्ष के अनुभव या 25 वर्ष के कुल अध्यापन अनुभव के प्रोफेसर को पात्र माना जाए।
- असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर पारदर्शिता से चयन हेतु अभ्यर्थी की अकादमिक उपलब्धियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत वेटेज दिया जाए।
- जर्नल के संपादन, कांफ्रेंस में भाग लेने, लोकप्रिय लेख आदि के लिए रिसर्च पॉइंट्स दिए जाएँ।

(डॉ. मनोज सिन्हा)

सचिव

उच्च शिक्षा संवर्ग
मो. 09868877699



अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

केन्द्रीय कार्यालय : शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली न. 9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाष : 011-22914799, 09868711893, 09414040403, 09414068780, 09343211679

E-mail : abrsmdelhi@gmail.com, abrsmbharat@gmail.com, Website : www.abrsm.in

ABRSM

अध्यक्ष

जगदीश प्रसाद सिंघल
09414068780

महामंत्री

शिवानन्द सिंदनकेरा
09343211679

अतिरिक्त महामंत्री

डॉ. निर्मला यादव
09412169506

संगठन मंत्री

महेन्द्र कपूर
09868711893, 09414040403

सह संगठन मंत्री

ओमपाल सिंह
09415121329

उपाध्यक्ष
महिला संवर्ग
डॉ. कल्पना पांडे (महाराष्ट्र)
09923754561
प्राथमिक संवर्ग
हिममत सिंह जैन (मध्यप्रदेश)
09425973461
माध्यमिक संवर्ग
पी. वेंकटराव (तेलंगाना)
09490149248
उच्च शिक्षा संवर्ग
प्रो. प्रगनेश शाह (गुजरात)
09879567178
मंत्री
महिला संवर्ग
डॉ. रेखा भट्ट (राजस्थान)
09414787234
प्राथमिक संवर्ग
पीएस गोपकुमार (केरल)
09447906186
माध्यमिक संवर्ग
मोहन पुरोहित (राजस्थान)
09829234345
उच्च शिक्षा संवर्ग
डॉ. मनोज सिन्हा (दिल्ली)
09868877699
संयुक्त मंत्री
महिला संवर्ग
श्रीमती ममता डी. के. (कर्नाटक)
09886598436
प्राथमिक संवर्ग
श्रीमती सुधा मिश्रा (उत्तर प्रदेश)
09450488131
माध्यमिक संवर्ग
पवन मिश्रा (हिमाचल प्रदेश)
09817399333
उच्च शिक्षा संवर्ग
डॉ. नारायण लाल गुप्ता (राजस्थान)
09414497042
कोषाध्यक्ष
संजय कुमार राजत (मध्यप्रदेश)
09826050266
आंतरिक अंकेक्षक
डॉ. पवित्र कुमार रथ (ओडिशा)
09937661228
उच्च शिक्षा संवर्ग प्रभारी
महेन्द्र कुमार (वाराणसी केन्द्र)
09415201262
महिला संवर्ग प्रभारी
श्रीमती प्रियवन्दा सक्सेना (महाराष्ट्र)
09373302551
प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रमुख
डॉ. शेखर बसंत चन्द्रात्रे (महाराष्ट्र)
09869141250
शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रमुख
प्रो. शैलेश कुमार मिश्रा (उत्तरप्रदेश)
09415446525
मीडिया प्रकोष्ठ प्रमुख
विजय कुमार सिंह (मध्यप्रदेश)
09425179729
प्रकाशन प्रकोष्ठ प्रमुख
विष्णुप्रसाद चतुर्वेदी (राजस्थान)
09829113431
समर्थ भारत आयाम प्रमुख
रतन लाल शर्मा (दिल्ली)
09968030795

पत्रांक : H.E.W. 3/ Vikram Samvat 2075

दिनांक : 20.07.2018

Shri Prakash Javedkar Ji

Hon'ble Minister of Human Resource Development
Govt. of India,
Shastri Bhawan, New Delhi

Respected Sir,

ABRSM welcomes the new UGC Regulation and extends warm gratitude to MHRD Minister Shri Prakash Javdekarji and the Chairman, UGC for accepting most of the teacher welfare centric suggestions and inputs provided by ABRSM.

ABRSM feels happy to state that the following suggestions of the organization were accepted and incorporated in the new Regulation in the larger interest of the teaching community of Higher Education :-

1. The API- PBAS system, the most controversial provision of UGC-2006, has been finally abolished.
2. API requirements for pending CAS promotion has been relaxed up to the date of notification of the new Regulation.
3. Additional incentive increments for higher qualification like M.Phil. and Ph.D. etc. has been restored.
4. The workplace stay of the teachers in the Higher Education Institutes has been retained for 5 hours instead of proposed 7 hours in the draft Regulation.
5. From the proposed work-load of the teachers, requiring minimum 14-16 hours per week in the new draft Regulation, the word "minimum" has been abolished as demanded by ABRSM.
6. The period of relaxation for Orientation and Refresher courses has been increased up to 31st December, 2018.
7. The Post of professor in colleges was confined to a certain limit in the earlier regulation, but now the opportunity is open to all the eligible college teachers.
8. The college Principal can be re-appointed for one more term of five years by a committee constituted by the respective University.
9. UG and PG Principals will be placed in the same Professor grade, and after completion of the term of Principal, the teacher will join his parent institution with the designation and grade of Professor.
10. For the pending cases under CAS promotion, a choice is given between existing regulations and the new Regulation for the next three years.
11. All the universities have to implement these regulations within six months of the date of notification.



अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

केन्द्रीय कार्यालय : शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली न. 9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाष : 011-22914799, 09868711893, 09414040403, 09414068780, 09343211679

E-mail : abrsmdelhi@gmail.com, abrsmbharat@gmail.com, Website : www.abrsm.in

ABRSM

अध्यक्ष

जगदीश प्रसाद सिंघल
09414068780

महामंत्री

शिवानन्द सिंदनकेरा
09343211679

अतिरिक्त महामंत्री

डॉ. निर्मला यादव
09412169506

संगठन मंत्री

महेन्द्र कपूर
09868711893, 09414040403

सह संगठन मंत्री

ओमपाल सिंह
09415121329

उपाध्यक्ष
महिला संघ
डॉ. कल्पना पांडे (महाराष्ट्र)
09923754561
प्राथमिक संघ
हिममत सिंह जैन (मध्यप्रदेश)
09425973461
माध्यमिक संघ
पी. वेंकटराव (तेलंगाना)
09490149248
उच्च शिक्षा संघ
प्रो. प्रगनेश शाह (गुजरात)
09879567178
मंत्री
महिला संघ
डॉ. रेखा भट्ट (राजस्थान)
09414787234
प्राथमिक संघ
पीएस गोपकुमार (केरल)
09447906186
माध्यमिक संघ
मोहन पुरोहित (राजस्थान)
09829234345
उच्च शिक्षा संघ
डॉ. मनोज सिन्हा (दिल्ली)
09868877699
संयुक्त मंत्री
महिला संघ
श्रीमती ममता डी. के. (कर्नाटक)
09886598436
प्राथमिक संघ
श्रीमती सुधा मिश्रा (उत्तर प्रदेश)
09450488131
माध्यमिक संघ
पवन मिश्रा (हिमाचल प्रदेश)
09817399333
उच्च शिक्षा संघ
डॉ. नारायण लाल गुप्ता (राजस्थान)
09414497042
कोषाध्यक्ष
संजय कुमार राऊत (मध्यप्रदेश)
09826050266
आंतरिक अंकेक्षक
डॉ. पवित्र कुमार रथ (ओडिशा)
09937661228
उच्च शिक्षा संघ प्रभारी
महेन्द्र कुमार (वाराणसी केन्द्र)
09415201262
महिला संघ प्रभारी
श्रीमती प्रियम्बदा सक्सेना (महाराष्ट्र)
09373302551
प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रमुख
डॉ. शेखर बसंत चन्द्रावे (महाराष्ट्र)
09869141250
शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रमुख
प्रो. शैलेश कुमार मिश्र (उत्तरप्रदेश)
09415446525
मीडिया प्रकोष्ठ प्रमुख
विजय कुमार सिंह (मध्यप्रदेश)
09425179729
प्रकाशन प्रकोष्ठ प्रमुख
विष्णुप्रसाद चतुर्वेदी (राजस्थान)
09829113431
समर्थ भारत आयाम प्रमुख
रतन लाल शर्मा (दिल्ली)
09968030795

पत्रांक :

दिनांक :

Although the new Regulation evinces many positive decisions, still there are certain issues and serious measures which require immediate intervention in the larger interest of the teachers, viz. -

1. Financial assistance to the state funded universities and colleges should be minimum 80% of the additional financial burden for at least five years in order to implement UGC scale uniformly across the country.
2. Index of rationalization needs to be revised to not less than 2.72 for each level and the multiplication factor should be 2.67 for the fixation of pay across the level.
3. The compulsion of Ph. D. degree up to the promotion to the post of Associate Professor in colleges should be withdrawn.
4. The period of leave taken for doing Ph. D. should be counted as teaching and research experience for the purpose of promotion and recruitment.
5. Exemption from NET for Ph.D. degree-holders should be up to the date of adoption of the Regulation by the respective university.
6. A professor with 5 years of experience as Professor in a University or College or a Professor with total teaching experience of 25 years should be eligible for the post of VC.
7. For final selection to the post of Assistant Professor, at least 50% weightage should be given to the academic score, as it is feared that the objectivity of the selection might be hampered if it is based solely on the interview.
8. Research point should be awarded for being editor of a journal, conference participation, and publication of popular articles.

(Dr. Manoj Sinha)

Secretary

Higher Education Wing

Mob. : 09868877699